

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग,

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

पत्रांक-  
प्रेषक,

टी-1/ स्था0(6) अनु0-14/2021 ..... 641 ...../पटना, दिनांक- 25.02.2025

सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से  
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा-

वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

“पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना” राज्य योजनान्तर्गत 05 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 03 व्यवसायों में 07 यूनिट परिवर्द्धित करते हुए 07 (सात) अनुदेशकों के पद का सृजन एवं रु0- 35.46 लाख (रूपये पैंतीस लाख छियालीस हजार) मात्र का प्रत्येक वर्ष व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-

स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के शिक्षित युवकों/युवतियों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, उन्हें कुशल तकनीशियन / कामगार एवं स्वावलंबी बनाने हेतु आधुनिक व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से “पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना” राज्य योजनान्तर्गत 05 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 03 व्यवसायों में 07 यूनिट परिवर्द्धित करते हुए 07 अनुदेशकों के पद का सृजन कर युवक/युवतियों को रोजगार / स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

- 02- निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन 05 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फारबिसगंज, मोतिहारी, भागलपुर, नवादा एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर में पूर्व से संचालित 07 व्यवसायों के यूनिट बढ़ाते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रत्येक नये यूनिट के लिए एक-एक अर्थात् कुल 07 (सात) व्यवसाय अनुदेशकों का पद निम्न प्रकार सृजन किया जाता है-

| क्र. | संस्थान का नाम                        | व्यवसाय का नाम | पूर्व से स्वीकृत यूनिट | संचालित व्यवसाय में बढ़ाये गये यूनिट | बढ़ाये गये यूनिट हेतु पद सृजन |
|------|---------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1    | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फारबिसगंज | फीटर           | 3+4                    | 1+0                                  | 01                            |

|         |                                              |                                          |     |     |    |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|----|
| 2       | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी         | इलेक्ट्रीशियन                            | 4+3 | 0+1 | 01 |
| 3       | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर          | इलेक्ट्रीशियन                            | 3+4 | 1+0 | 01 |
| 4       | महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर | इलेक्ट्रीशियन                            | 1+0 | 0+1 | 01 |
| 5       | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा            | रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग टेक्नशियन | 1+0 | 0+1 | 01 |
|         |                                              | इलेक्ट्रीशियन                            | 3+4 | 1+0 | 01 |
|         |                                              | फीटर                                     | 2+3 | 1+0 | 01 |
| कुल योग |                                              |                                          | 07  | 07  |    |

03- सृजित पदों की संख्या, वेतनमान एवं उस पर होनेवाले वार्षिक व्यय की विवरणी निम्नवत है-

| क0 सं0             | पद का नाम                                                         | पे लेवल | सृजित पद की संख्या                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 1                  | व्यवसाय अनुदेशक (फीटर)                                            | 06      | 02 (दो)                                |
| 2                  | व्यवसाय अनुदेशक (इलेक्ट्रीशियन)                                   |         | 04 (चार)                               |
| 3                  | व्यवसाय अनुदेशक<br>(रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग<br>टेक्निशियन) |         | 01 (एक)                                |
| कुल योग            |                                                                   |         | 07 (सात)                               |
| क0 सं0             | मद का नाम                                                         |         |                                        |
| 1                  | 01 01 वेतन :-                                                     |         | 21,24,000                              |
| 2                  | 01 03 जीवन यापन भत्ता :-                                          |         | 11,25,720                              |
| 3                  | 01 04 मकान भत्ता :-                                               |         | 2,12,400                               |
| 4                  | 01 06 चिकित्सा भत्ता :-                                           |         | 84,000                                 |
| वेतनादि का योग:-   |                                                                   |         | 35,46,120                              |
| 1000/- के गुणक में |                                                                   |         | 35,46,000/-                            |
|                    |                                                                   |         | रुपये (पैंतीस लाख छियालीस हजार) मात्र। |

04. बजट शीर्ष और बजट उपबंध की उपलब्धता- व्यय होने वाले राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष-003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0105 पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारम्भ करना, मांग संख्या-26, विपत्र कोड-26-2230030030105 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। राशि का आवंटन वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 2561 दिनांक-17.04. 1998 एवं समय-समय पर निर्गत पत्रों के अनुसार किया जाएगा।

- 05- इस स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा संबंधित संस्थान के प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
- 06- राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार से की जाएगी।
- 07- प्रस्ताव में लोक वित्त समिति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
- 08- स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन  
21/11/25  
सचिव

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी-1/ स्था0(6) अनु0-14/2021 ..... 64/...../पटना, दिनांक- 25.01.2025  
प्रतिलिपि- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/ माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/11/25  
सचिव

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी-1/ स्था0(6) अनु0-14/2021 ..... 64/...../पटना, दिनांक- 25.01.2025  
प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ सभी उप निदेशक प्रशिक्षण/ क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/ सहायक निदेशक (परीक्षा), नियोजन भवन, बेली रोड, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/ संबंधित प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ सभी स्थापना शाखा/ भवन शाखा/ नियुक्ति शाखा/ प्रशिक्षण शाखा/ व्यय शाखा/ मासिक व्यय शाखा/ योजना शाखा एवं बजट शाखा (सरकार पक्ष एवं निदेशालय प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/11/25  
सचिव

श्रम संसाधन विभाग।

21/11/25

21/11/25